

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(सुबे सिंह यादव, आई०ए०एस० द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

121 / 2017
21.12.2017

हनुमान पुत्र किशना जाति मीना निवासी रधुनाथपुराकंला तहसील उनियारा जिला टोंक राज०

—अपीलान्ट

बनाम

नायब तहसीलदार बनेठा जिला—टोंक राजस्थान

—रेस्पोजेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा०ले०रे०एक्ट विरुद्ध निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार बनेठा दिनांक 24.10.2017. धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति : (1) श्री रामअवतार सोनी, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री जुगनु शर्मा, राजकीय अभिभाषक रेस्पोजेण्ट

निर्णय

दिनांक 15.02.2018

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बनेठा ने अपने आदेश दिनांक 24.10.2017 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि खसरा नम्बर 189 रकबा 0.68 है० व खसरा नम्बर 191 रकबा 0.20 है० किता-2 रकबा 0.88 है० मे से 0.14 हैव किस्म बा-2 वाके ग्राम ज्ञानपुरा पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर शास्ति कायम कर भूमि से बेदखल कर 60 दिवस की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार बनेठा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोजेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया और न ही साक्ष्य सबूत का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलांट की प्रोपर तामिल नहीं हुई है। अपीलांट द्वारा किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है और ना ही अपीलांट ने अतिक्रमण कर फसल काश्त की है। पटवारी हल्का द्वारा रंजिशवश अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो मौके की वास्तविक स्थिति के काफी विपरित है। पटवारी हल्का द्वारा बिना मौके की जांच किये ही रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अपीलांट का ग्राम ज्ञानपुरा तहसील उनियारा की किसी भी भूमि पर अतिक्रमण नहीं है। अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्पीकिंग आदेश भी जारी नहीं किया गया है। अपीलान्ट ने कब्जा हटाने व भविष्य मे कब्जा नहीं करने बाबत शपथ पत्र पेश

किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि सम्मन पर अपीलाण्ट की विधिवत तामिल हुई है। अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है। अतिक्रमी बार बार अतिक्रमण करने का आदी है, उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्मन जारी कर सुनवाई का अवसर दिया गया है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए है। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर अपने बचाव पक्ष में साक्ष्य सबूत पेश करना चाहिए था। अपीलान्ट द्वारा ग्राम ज्ञानपुरा के खसरा 189 रकबा 0.68 है० व खसरा नम्बर 191 रकबा 0.20 है० में से 0.14 है० भूमि पर चरी की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया है जो पटवारी हल्का के बयान से सिद्ध है। अपीलाण्ट ने शपथ पत्र पेश किया है कि मेने उक्त भूमि पर से कब्जा हटा लिया है तथा भविष्य में अतिक्रमण नहीं करूँगा। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट आशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.10.2017 द्वारा अपीलाण्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर अपास्त की जाती है कि अपीलाण्ट द्वारा शास्ती राजकोष में जमा करादी है तथा अपीलाण्ट ने अतिक्रमित भूमि पर से अपना कब्जा हटा लिया है। नायब तहसीलदार बनेठा यह सुनिश्चित करले की अपीलाण्ट का अतिक्रमित भूमि पर कब्जा नहीं है। यदि अपीलाण्ट अतिक्रमित भूमि पर से कब्जा नहीं हटाता है या पुनः कब्जा करता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 15.02.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबे सिंह यादव)

जिला कलेक्टर, टोक

टोक